कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र।

पत्रांकः स–50/डी0डी0/फा0स0/मेरठ–15(2)/1170. दिनांकः नवम्बर 27 2015,

सेवा मे,

मैसर्स शम्भू दयाल पब्लिक स्कूल,
ग्राम–सोरखा जाहिदाबाद सेक्टर–115 नौएडा,
जनपद–गौतमबुद्धनगर

विषयः **मैसर्स शम्भू दयाल पब्लिक स्कूल, द्वारा ग्राम–सोरखा जाहिदाबाद सेक्टर–115 नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे निर्मित शैक्षणिक भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः यूआईडी:2015/15932/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/3682/डी0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत निर्मित भवन की अग्निशमन अनापत्ति निर्गत किये जाने हेतु अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर से किया गया है।

उक्त प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज–2 से कराया गया तो उनकी आख्या दिनांकितः 21–11–2015 का मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 23–11–2015 इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जिनका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः–

1–कुल भूखण्ड एरिया–6800.00 वर्ग मी0।
2–निर्मित भूतल एवं प्रथम तल का कवर्ड एरिया–2206.00 वर्ग मी0 प्रत्येक।
3–भवन की ऊचॉई–07.80 मीटर।

सी0–भवन का प्रयोग– प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0–2005 की शैक्षणिक भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाऐंः–

1–पहुँच मार्ग– भवन के सामने 12 मी0 चौडा रोड नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 मानको के अनुसार उपलब्ध है तथा प्रवेश द्वार की चौडाई 04.50 मी0 मानको के अनुसार उपलब्ध है।

सैटबेकः–

अग्रभाग–06 मीटर से अधिक।
पृष्ठ भाग–06 मीटर से अधिक।
पार्श्व भाग प्रथम–06 मीटर से अधिक।
पार्श्व भाग–द्वितीय– निल।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवन को पूर्व मे मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) मेरट मण्डल मेरठ के पत्र संख्याः शि0स0/1551–55/2007–08 दिनांकः 31–08–2007 के द्वारा जू0हा0 स्कूल की मान्यता प्राप्त है। मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन, शिक्षा (06) अनुभाग का शासनादेश संख्याः 1528/79–6–08 दिनांकः 20–07–2009 एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय मे योजित जन हित याचिका संख्याः 483/2004 अवनीश कुमार महरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य मे पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांकः 13–04–2009 के अनुपालन मे प्रदेश के स्कूलो/ कालेजो मे अग्नि सुरक्षा शासनादेश संख्याः 1601/15–7–09–1(124)/2009 दिनांकः 20–07–2009 के अनुसार पूर्व मान्यता प्राप्त विद्यालयों मे ढॉचागत व्यवस्थाओं के अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्थायें कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है।

3–निकास मार्गः– प्रश्नगत निर्मित भवन मे 02 अदद स्टेयरकेस जिनकी चौडाई 01.20 मीटर उपलब्ध है, तथा समस्त स्थानो से ट्रेवल डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था– प्रश्नगत भवन मे नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया मानक के सुसंगत प्रावेधानों के अनुसार निम्न स्थापित पाई गई जिनका विवरण निम्नवत हैः–

(एच0 एस0 मलिक)
उपनिदेशक फायर सर्विस
मेरठ

Manager
Sambhu Dayal Public School
Soharkha Sec-115, Noida
G. B. Nagar

1–**प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)**–भवन मे फायर एक्सटिंग्यूशर आई.एस. कोड 2190 के अनुसार स्थापित है।

अतः उपरोक्तानुसार मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर एवं अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज–2 की संस्तुति आख्या के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स शम्भू दयाल पब्लिक स्कूल, द्वारा ग्राम–सोरखा सेक्टर–115 नौएडा गौतमबुद्धनगर में निर्मित शैक्षणिक भवन को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है:–

1– भवन प्रबन्धक भवन मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाऐं रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखा जायें।

2– भवन मे स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।

3– भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए।

4– भवन मे किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनेवार्य होगा।

5– प्रत्येक छः माह मे एक बार भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।

6– विद्युत सुरक्षा के सम्बन्ध मे विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– विद्यालय के ऐसे कक्ष जिनमे 01 दरवाजा है उनमे 45 से अधिक छात्र छात्रायें न बैठायें जायें।

8– वर्ष मे एक बार अग्निशमन विभाग से सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

9– भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के अनुरक्षण के अभाव मे अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा मे पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

10– उक्त शर्तो का उल्लघंन पाये जाने की दशा मे निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(एच0एस0 मलिक)
उपनिदेशक फायर सर्विस
मेरठ परिक्षेत्र।

प्रतिलिपि: 1–संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस मेरठ को सादर सूचनार्थ।
2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3–अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज–2 जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4–बेसिक शिक्षा अधिकारी नौएडा गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।